बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संoसंo–17/विविध–01–105/2024 – 362(17) पटना, दिनांक–24/03/2026

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–640(1), दिनांक–24.09.2024 के द्वारा राज्य के चिकित्सा संस्थानों से Post MBBS DNB, Post Diploma DNB एवं Post MBBS Diploma उत्तीर्ण छात्रों पर लागू प्रावधान के आलोक में राज्य में अनिवार्य बॉण्ड सेवा प्रदान करने हेतु बंध–पत्र (बॉण्ड) के अंतर्गत निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–04 में अंकित चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्रo संo	नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4
01	डॉo अमानतुल्लाह, DNB (Post MBBS) Pediatrics (सत्र–2021–24)	01.01.1991	अनुमडंलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढ़ी
02	डॉo चित्रा कृष्णन, DNB (Post MBBS) Pediatrics (सत्र–2022–25)	06.10.1994	सदर अस्पताल, बक्सर
03	डॉo हिमानी, Post MBBS Diploma Course (सत्र–2023–25)	16.08.1993	सदर अस्पताल, कैमूर

2. उक्त पदस्थापित चिकित्सकों को उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सामान्य चिकित्सीय कार्यो के साथ–साथ विशेषज्ञ चिकित्सक का कार्य भी लिया जाय।
3. उक्त सभी चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में पदस्थापित चिकित्सा संस्थान में पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर योगदान समर्पित करना आवश्यक होगा।
4. इनका यह नियोजन किसी भी रूप में नियमित नियोजन नहीं माना जायेगा।
5. राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित चिकित्सकों को मानदेय का भुगतान विभागीय पत्र संख्या–881(1), दिनांक–27.09.2022 द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार 85,000/– (रूपये पचासी हजार) प्रतिमाह देय होगा, जिसका भुगतान संबंधित चिकित्सा संस्थान के कार्यालय के बजट शीर्ष 28–02 संविदा सेवाऍं मद से किया जायेगा।
6. इन्हें आकास्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर अन्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा।
7. महिला चिकित्सक को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन कम–से–कम एक माह पूर्व नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करना होगा। संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी इस आशय के साथ अनुशंसा करेंगे कि उनके नहीं रहने से कार्य प्रभावित नहीं होंगे। किसी भी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के मातृत्व/अन्य अवकाश में जाने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे।
8. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–881(1), दिनांक–27.09.2022 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पीoजीo/डिप्लोम उत्तीर्ण छात्रों से बंध–पत्र के अधीन राज्य सरकार के अधीन अनिवार्य बॉण्ड सेवा हेतु सृजित फ्लोटिंग पदों के विरूद्ध चिकित्सा संस्थान आवंटित किया गया है।

(170)

9. बंधेज पत्र के अनुसार बॉन्ड अवधि की समाप्ति के उपरांत चिकित्सा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गये बॉण्ड कार्यावधि की गणना के प्रमाणीकरण के पश्चात् संबंधित चिकित्सा संस्थान के द्वारा चिकित्सक का प्रमाण–पत्र उन्हे लौटा दिया जायेगा।
10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–105/2024 – 362(17) **पटना, दिनांक– 24/03/2026**

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवं0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/प्राचार्य एवं अधीक्षक सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/असैनिक भाल्य चिकित्सक–सह–मुख्य–चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

प्रतिलिर्पि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित DNB डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 08, 09, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।